

प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में है। फलतः यह बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है।


2. सुविधा का संतुलन:- चुंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के विरुद्ध साबित हुआ है साथ ही वादग्रस्त आराजी में सायलान के साथ अन्य व्यक्ति भी सह-खातेदारान दर्ज है। अतः संपूर्ण आराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में निहित होना नहीं माना जा सकता। वादग्रस्त आराजी अविभाजित संयुक्त सह-खातेदारी भूमि है अतः किसी विशिष्ट भू-भाग पर सायलान को सुविधा का संतुलन होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अतः यह बिन्दू सायलान के विरुद्ध साबित होता है।
3. अपूरणीय क्षति:- चुंकि पूर्व विवेचित दोनो बिंदू सायलान के विरुद्ध साबित हुए है। साथ ही अविभाजित शामिलती आराजी में प्रत्येक सह-खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा व स्वामित्व माना जाता है। अतः किसी भी सह-खातेदार को कानूनन विभाजन से पूर्व भूमि के विशिष्ट भू-भाग पर एकमेव अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। सायलान यह साबित करने में विफल रहे है कि अविभाजित सह-खातेदारी आराजी में यदि उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उन्हें किस प्रकार अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह बिन्दू भी सायलान के विरुद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण सायलान/वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।


--: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र सायलान/वादीगण अन्तर्गत धारा- 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सायलान के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



  
 सहायक जिला-ब्यावर (फास्ट ट्रेक)  
 सहायक जिला-ब्यावर  
 (फास्ट ट्रेक), जैतारण  
 जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

  
 सहायक जिला-ब्यावर (फास्ट ट्रेक)  
 सहायक जिला-ब्यावर  
 (फास्ट ट्रेक), जैतारण  
 जिला-ब्यावर (राज0)